प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (बौद्ध स्तूप)–पर्वी चम्पारण–93/2013–1542/रा0, पटना–15 दिनांक–19/06/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना

एस0ओ0 रा0 पटना,दिनांक................................

चूकिं बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–ताजपुर देउर,थाना केसरिया, थाना न0–235,जिला पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् केसरिया बौद्ध स्तूप के समीप पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु अर्जित 5.00 एकड़ जमीन से सटे मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सर्म्पक सड़क के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है,इसलिए इनके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त ग्राम–ताजपुर देउर, थाना न0–235 के भीतर कमोवेश बीघा X कट्ठा X धूर की जो मानक माप से 0.26 1/2 एकड़ (साढ़े छब्बीस डी0) के बराबर होता है, एक भूखंड अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

अंश खेसरा:– 19[redacted]199

चौहदी:– उ0–खेसरा 188,198,199 का अंश
द0–खेसरा 199,192 का अंश
पु0–सड़क
प0–छौर

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961 द्वारा यथा संशोधित)अधिनियम–1, 1894 की धारा 4 के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा भूमि अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता हैं।

बिहार सरकार, भूमि–अर्जन पदाधिकारी और उनके स्टाफ तथा परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारीयों और स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा(2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुदाय निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें और चूंकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिये दक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगा।

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–14/डी0एल0ए0 (बौद्ध स्तूप)–पूर्वी चम्पारण –93/2013–1542/रा0 दि0– 19-06-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पूर्वी चंपारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

17/6/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव।